

उत्तर प्रदेश शासन,  
नमामि गगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-१  
सख्ता - १। / छिह्नतार-१-२०२०-५० सम/२००८ टी०री०-।  
लखनऊ, दिनांक २० जनवरी, २०२०

### कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु ग्रामीण विभाग अनुभाग-५ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-१७३९/अडतीस-५ -२०११-०७ स्वजल २०११, दिनांक १८.१०.२०११ द्वारा राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया गया था। उक्त निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक १८.१०.२०११ को एतद्वारा निररत करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुगोदन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

#### राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति

१	प्रमुख सचिव, नमामि गगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
२	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
३	मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।	सदस्य
४	होब्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड।	सदस्य
५	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
६	होब्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।	सदस्य
७	केन्द्रीय/ राजकीय तकनीकी संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञ।	सदस्य
८	मुख्य अभियन्ता, नियोजन, उत्तर प्रदेश जल निगम, मुख्यालय, लखनऊ।	सदस्य
९	यथावश्यकता अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य सदस्य।	सदस्य
१०	अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।	सदस्य सचिव

२- प्रमुख सचिव, नमामि गगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक का आयोजन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कराया जायेगा एवं एजेंडा नोड समस्त सम्बन्धितों को १५ दिन पूर्व भेजते हुए राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस०एल०एस०एस०री०) की बैठक में भाग लेने हेतु प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित किया जाना इसलिए अनिवार्य होगा कि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव की जौच, मत स्थिर करने, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी एवं आर्थिक जानकारी प्रदान करने एवं प्रतिनिधियों द्वारा एस०एल०एस०एस०री० की बैठक में प्रतिभाग किया जा सके। राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस०एल०एस०एस०सी०) कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- (1) सदस्य सचिव, उन योजनाओं के अनुमोदन के लिए एस०एल०एस०एस०सी० की बैठक बुलाएगे जो डी०डब्ल००एस०एम० के अनुगोदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं-जैसे इट्रा इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट्यूशन नेटवर्क, रीजनल वाटर सप्लाई रकीम, वाटर ग्रिड्स ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि के जरिए यत्क वाटर ट्रांसफर।
- (2) रोसे फाइंडिंग कमेटी द्वारा ऐसी योजनाओं, जिनमें योजना डिजाइन अवधि के लिए निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, के प्रत्यावर्ती को एस०एल०एस०एस०सी० के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- (3) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता प्रशिक्षण द्वारा सोर्स काइडिंग कमेटी के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।  
(4) विभिन्न रत्तरों के अधिकारियों को तकनीकी रखीकृति देने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त की हैं, जो जल जीवन प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित की जायेंगी।  
(5) राज्य स्तरीय परियोजना रखीकृति समिति (एस०एल०एस०एस०सी०) की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक आहूत करते हुए नई परियोजनाओं के अनुमोदन के अतिरिक्त समिति द्वारा पहले अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, पूर्णता तथा चालू होने की स्थिति की समीक्षा की जायेगी।  
(6) समिति को प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता के बारे में वर्तमान जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्य/ कार्य निष्पादन की समीक्षा की जायेगी।  
(7) राज्य रत्तरीय परियोजना रखीकृति समिति (एस०एल०एस०एस०सी०) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी अनुमोदित योजनाएँ वर्ष में आच्छादित बस्तियों के लेखा के लिए केन्द्रीय आन लाइन एम०आई०एस० में प्रविष्ट कर दी जाय।

अनुराग श्रीवास्तव  
प्रमुख सचिव

संख्या- १। (१) / छिह्नतार-१-२०२०-५० सम/२००८ टी०सी०-१, तदनिमंक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- २ प्रधान निजी सचिव, गा० मत्री जी जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
- ३ निजी सचिव, प्रमुख राज्यवाही विभाग, नमस्मि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- ४ प्रशिक्षण निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ५ समिति के समस्त सदस्यगण।
- ६ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- ७ प्रबन्ध निदेशक, य०पी० स्टेट एग्रो इण्डरियल कार्पोरेशन लि० लखनऊ।
- ८ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)  
अनु सचिव